'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि– 15 मई, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

izs"kd % MkW0 mfnr jkt ¼jke jkt½ ps;jeSu & tfLVl ifCyds'kal] Vh&22] vrqy xzkso jksM] dukWV lysl] ubZ fnYyh&110001] Qk

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 12 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 मई, 2013

लैंगिक दुराचार या व्याभिचार से दूर रहें।

-गौतम बुद्ध

नेशनल एससी, एसटी , ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (NSOSYF) की स्थापना

हर्षवर्धन दवणे

नागपुर में 27–28 अप्रैल को NSOSYF की स्थापना हेतु चिंतन शिविर आयोजित किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी छात्र एवं नौजवान नेता शिरकत किए। बहुत दिनों से अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ महसूस कर रहा था कि क्यों नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं नौजवानों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया गया। दलित एवं पिछड़ों के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक दल अस्तित्व में हैं फिर भी छात्र एवं नौजवान मोर्चा क्यों नहीं तैयार किया गया? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो या महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों–लाखों नौजवान छात्र सड़क पर उतर जाते हैं लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी ने कभी ऐसा नहीं किया चाहे जितना भी अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हुआ हो।

मेरे, राजनारायण, विनय कुमार, दुर्गम भास्कर, मुकुराला माडीया, बालाजी कोंडामंगल, भावना गवली, भूषण गवली, गणेश बाघमारे, रवि सूर्यवंशी, नागेश सोनूले, अतुल वच्छेवाड एवं नितिन गायकवाड़ छात्र नेताओं के द्वारा एनएसओएसवायएफ का निर्माण का मुहिम बहुत पहले से चल रही थी और इसका व्यावहारिक रूप 28 अप्रैल को नागपुर में दिया गया। डॉ. उदित राज के नेतृत्व में संघर्षरत् परिसंघ इनकी लड़ाई गत् कई वर्षों से लड़ रहा है लेकिन वे इसमें शामिल नहीं किए जा सके। जाहिर सी बात है कि परिसंघ मूल रूप से कर्मचारियों–अधिकारियों का संगठन है और अगर रोजगार के नए अवसर पैदा होता है तो उसका लाभ छात्रों एवं नौजवानों को ही जाना है ना कि कर्मचारियों–अधिकारियों को।

मां–बाप चाहे जितने बड़े सपने के साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें ताकि उनको रोजगार मिले लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि एक तरफ सरकारी नौकरियां कम हुई है और सरकारी विभागों में बढ़े हुए काम को निजी क्षेत्र से कराया जा रहा है और दूसरी तरफ 98 प्रतिशत तक रोजगार निजी क्षेत्र में सृजित होते हैं जहां पर इन वर्गों को रोजगार मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग कोचिंग पर ज्यादा बल देकर के विद्यार्थियों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है जो कि अधूरा सत्य है। डॉ. उदित राज खुद देश की बड़े कंपीटिशन को किया है और समाज के खातिर आयकर आयुक्त से इस्तीफा दिया, उनसे बेहतर और कौन इस सत्य को जान सकता है। इस वर्ष के सिविल सर्विसेज में लगभग 1,000 लोगों को चुना गया और एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र उतने ही पद पा सके जितना कि उनका कोटा है। कुछ छात्र सामान्य मेरिट में भी चुने गए होंगे लेकिन उनकी संख्या नहीं के ही बराबर है। यदि कोचिंग न भी चलाए जाएं तो भी लगभग इतने ही छात्र चुने जाने हैं। इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने की लड़ाई लड़ना। अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण के अलावा और क्या जरूरी हो सकता है? हमारे छात्रों एवं नौजवानों को राष्ट्रीय स्तर पर डॉ. उदित राज के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन खड़ा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलता है तो हमारी पढ़ाई–लिखाई बहुत सार्थक नहीं रह पाएगी।

कांग्रेस का छात्र मोर्चा एनएसयू है, सीपीएम का एसएफआई है और उसी तर्ज पर हमने एनएसओएसवायएफ बनाया है। इससे कॉलेजों के समय से ज्ञान–विज्ञान एवं सामाजिक न्याय की बातें छात्रों में पैदा की जाएगी। हमारे नौजवान–छात्र अभी तक दूसरे वर्गों के हितों के ज्ञान एवं संस्कार से प्रभावित होते रहे हैं जबकि हमारी समस्याएं भिन्न हैं। हम इस देश के शोषित हैं और उससे मुक्त होने वाली विचारधारा से लैस होने की जरूरत है। अब इस कार्य को एनएसओएसवायएफ करेगा। कुछ कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन बने जरूर हैं लेकिन ना वे तो सही विचारधारा पर आधारित है और उनका प्रभाव सरकार पर शून्य के बराबर असर है। अधिक से अधिक उसी विश्वविद्यालय के छात्रों की कुछ समस्याओं को उठाने का कार्य करते रहते हैं अतः मूल अधिकार लेने की लड़ाई को कर ही नहीं पाते हैं और कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी गतिविधियां केवल प्रांगण तक सीमित होती है। हमारे मार्गदर्शक भगवान गौतम बुद्ध, पेरियार, नारायण गुरू, ज्योतिबा फूले, डॉ. अंबेडकर आदि होंगे। यदि छात्र जीवन में भी ये संस्कार डाल दिए जाएं तो भविष्य के लिए नेतृत्व पैदा हो जाएगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसी तैयारी के कारण भविष्य में समाज को हुक्मरान बनाया जा सकता है।

दीप प्रज्वलित करते माननीय डॉ. उदित राज।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते डॉ. उदित राज (राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ)

माननीय डॉ. राज की बातों को ध्यान से सुनते उपस्थित लोग।

विशाल रैली का आयोजन

गत् दिनों 20 अप्रैल को अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों ा का अखिल भारतीय परिसंघ, पारख महासंघ, भागीदारी आंदोलन, अ. भा. कोरी/कोली समाज, जकात फाउण्डेशन, इंजपा, राष्ट्रीय हरि समाज की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन झूलेलाल पार्क (लखनऊ विश्वविद्यालय के निकट) लखनऊ में किया गया। इस रैली में प्रमुख नेताओं जैसे डॉ. उदित राज(राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ), भवननाथ पासवान (प्रदेश अध्यक्ष, महासंघ), कौशल किशोर (राष्ट्रीय अध्यक्ष, पारखा महासभा), पी. सी. कुरील(राष्ट्रीय संयोजक, भागीदारी आंदोलन), हरि शंकर माहौर (राष्ट्रीय महासचिव, अ. भा. कोरी/कोली समाज), डॉ. जफर महमूद (राष्ट्रीय अध्यक्ष, जकात फाउंडेशन), कालीचरन सोनकर (पूर्व विधायक/प्रदेश अध्यक्ष, इंजपा), डॉ. श्याम कुमार (राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरि समाज), रीना चौधरी(पूर्व सांसद) ने जनता को संबोधित किया और सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी–

उत्तर प्रदेश में ना केवल कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई है बल्कि विकास की रफ्तार भी बहुत ही नगण्य है। भारतीय समाज विभिन्न जातियों–समुदायों का है। अतः उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार ही सरकार को नीति निर्धारण करना चाहिए। दलित, आदिवासी हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित हैं। निजीकरण में भूमंडलीकरण के दौर में जो भी प्रगति हासिल की थी, वह भी पिछड़ती जा रही है। अल्पसंख्यकों को भागीदारी देने के तमाम वादे किये जाते हैं परन्तु लागू नहीं हो पाते। सामाजिक न्याय के आंदोलन में पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान तो किया लेकिन कुछ दबंग जातियां इसका लाभ ले रही है।

1. आजादी के 65 वर्ष बीत जाने पर भी दलितों एवं आदिवासियों के लिए भागीदारी के लिए जो आरक्षण मिला था, वह पूरी तरह से लागू नहीं हुआ और इसके विपरीत न्यायपालिका, अधिकारी एवं राजनैतिक लोग छीनने लगे। पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में लखनऊ हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2011 को फैसला दिया और इस अधिकार को समाप्त कर दिया। उस समय की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन शर्तों क्रमशः प्रतिनिधित्व की कमी, पिछड़ापन एवं दक्षता को पूरा करके जवाब न्यायालय को नहीं दिया। तब इस फैसले में यह भी प्रावधान था कि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इन तीन शर्तों को पूरा करके पदोन्नति में आरक्षण चालू रख सकती है परंतु ऐसा ना करके मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। गत् 27 अप्रैल को फैसला खिलाफ ही आया। गत् 18 दिसम्बर को राज्य सभा में 117वां संविधान संशोधन पास करके पदोन्नति में आरक्षण देने का रास्ता तो प्रशस्त किया लेकिन लोकसभा में अभी तक लंबित है। अखिलेश की सरकार ने ही पदोन्नति में आरक्षण में रोक लगायी जबकि समाजवादी पार्टी की बुनियाद सामाजिक न्याय पर रखे जाने का आडंबर करती है। अन्य सरकारों के सामने जब यह मामला आया तो पदोन्नति में आरक्षण देने का उपाय खोला जैसे राजस्थान सरकार में भटनागर कमेटी बनाकर जो शर्तों को पूरा किया और वहां आरक्षण पदोन्नति बचा ली।

उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की पाबंदी तुरंत समाप्त की जाय। निजीकरण, भूमंडलीकरण ने सरकारी नौकरियों को प्रभावित किया है तो ऐसे में पदोन्नति में आरक्षण और ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का रास्ता बनाये। दलित उत्पीड़न तेजी से बढ़ा है और यह इरादतन किया जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी को ना तो लाभ होने जा रहा है बल्कि प्रदेश की सुख–शांति एवं विकास पर भी असर पड़ रहा है। सरकार से मांग की गयी कि इस अन्याय को रोकने के लिए उचित कदम उठाये।

2. हाल ही में यूपी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की तत्परता दिखायी है और उसके लिए संसद की मंजूरी चाहिए। अगर मंजूरी मिलती भी है तो किसी हाल में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। जिस तरह से अन्य राज्यों में जैसे बिहार में अति पिछड़ों एवं अगड़े–पिछड़ों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए कोटे का विभाजन हुआ है इसी तरह से क्यों नहीं अखिलेश की सरकार जितना आरक्षण अति पिछड़ों को आबादी के अनुसार बनता है, उतना 27 प्रतिशत आरक्षण अलग कर देती। वास्तव में मुसलमानों एवं अति पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है और जो अधिकार उत्तर प्रदेश रसकार दे सकती है, वह ना करके इनको भ्रमित कर रही है।

3. मुसलमानों को 18 प्रतिशत का आरक्षण देने का वादा समाजवादी पार्टी ने किया था लेकिन एक साल से अधिक समय से सरकार है लेकिन दूर–दूर तक मिलने के आसार दिखते नहीं हैं। 18 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है और उसको केंद्र सरकार ही कर सकती है। तब तक राज्य सरकार 27 प्रतिशत पिछड़ों को आरक्षण में इनका हिस्सा अलग करे। मुसलमानों को कर्नाटक में 4 प्रतिशत, केरल में 10 प्रतिशत, बंगाल में 12 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता। हिंदू, सिक्ख एवं बौद्ध दलितों को जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है उसी तरह से मुस्लिम एवं ईसाई दलितों को भी मिलना चाहिए। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल कर रही है और इसी की वजह से मामला लंबित है।

4. किसी भी उन्नति तभी संभव है जब वहां के लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी प्रतिभा एवं अधिकार सुनिश्चित किया जाये। समान एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किये बिना देश को बहुत आगे नहीं ले जाया सकता। वंचितों को न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण दिया जाये, सबको रोजगार दिया जाये। वरना इतना भत्ता दिया जाए कि वह समान जीवन जी सके। आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए तमाम संघर्ष हो रहे हैं लेकिन तब तक हर संभव नहीं है जब तक सामाजिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया जाता।

मंच पर भवननाथ पासवान, डॉ. उदित राज, कौशल किशोर, डॉ. जफर महमूद, पी. सी. कुरील एवं अन्य (दांये से)।

अपार भीड़ को संबोधित करते डॉ. उदित राज।

माननीय डॉ. राज की बातों को ध्यान से सुनती अपार भीड़।

डॉ. अंबेडकर की जयंती का आयोजन

धर्मवीर राज

आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, बौद्धिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के 122वें जन्मदिवस पर दिल्ली के बुद्धविहार एक्स, रोहिणी, सेक्टर–23 के पास एक विशेष जयंती समारोह का आयोजन गत् दिनों 21 अप्रैल, 2013 को किया गया। इस आयोजन में कॉलोनी के सर्वसमाज के निवासियों ने बड़ी श्रद्धाभाव से बाबा साहेब की जयंती मनाई जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के सम्मानित पदाधिकारियों ने एक ही मंच पर उपस्थित होकर बाबा साहेब के कार्यों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर दलित समाज को शिक्षित होने, संगठित रहने तथा संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित किया। अन्य मुख्य वक्ताओं में श्री शंभू दयाल शर्मा (पूर्व निगम पार्षद, कांग्रेस), श्री ठाकुर सतपाल (वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता), श्री धर्मवीर आर्य (मंत्री, आर्य समाज उत्तरी पीतमपूरा), श्री जगदीश यादव (अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली सरकार), श्री कुलवंत राणा (क्षेत्रीय विधायक, बीजेपी), श्री महेश तोमर(प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, बीजेपी) उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में बुद्ध विहार एक्स. के जागरूक नागरिकों श्री राजेंद्र कुमार, श्री कांता प्रसाद, श्री देशराज, श्री काशीनाथ, श्री ओमवीर, श्री लालमोटर, बुद्धराम, श्रीनिवास, इन्द्रासन एवं अन्य के प्रयास से संभव हो सका।

जयंती के मौके पर डॉ. उदित राज (बांये से चौथे क्रम में) व अन्य।

दिल्ली आयकर विभाग ने मनाई डॉ. अम्बेडकर की जयंती

डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर की 122वीं जयंती 2 मई को प्रत्यक्षकर भवन, सिविक सेंटर, नई दिल्ली, में ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएसंस फेडरेशन द्वारा जोर–शोर से मनायी गयी। वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री प्रीता हरित के नेतृत्व में यह कार्य सम्पन्न हुआ। शायद पहला ऐसा मौका होगा जब राज्य वित्त मंत्री, श्री नमो नारायण मीना, आयकर विभाग में जयंती के उपलक्ष्य में शामिल हुए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, श्री पी.एल. पुनिया सहित सांसद अर्जुन राम मेघवाल, कुंवर रेवती रमण सिंह एवं कमल किशोर अतिथि के रूप में बाबा साहेब के सुझाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के रा0 अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज, जिनका आयकर विभाग और इस संस्था से गहरा संबंध था और है, ने भी भाग लिया। दिल्ली सरकार के राज्य परिवन मंत्री श्री रमाकांत गोस्वामी एवं दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री हरनाम भी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

श्री नमो नारायण मीना ने सैकड़ो उपस्थित आयकर विभाग के कर्मचारियों–अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए, संघर्ष ही एक सशक्त विकल्प है, जब मान–सम्मान एवं अधिकार के साथ जिया जा सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों का मार्गदर्शन करें जिन्हें न तो अधिकारों के बारे में जानकारी है और न ही उन्हें समाज में समानता का हक मिल सका है। मेरा दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है और जब भी चाहें आप खटखटा सकते हैं और हर संभव आपकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रीता हरित जी जब चाहें आप सब लोगों की समस्याओं को लेकर उपस्थित हो सकती हैं।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि जब उन्हें 1996 में विभाग के कुछ लोग जैसे –रमेश चन्द्र, नैन सिंह, राम पाल, मोती लाल मेघवाल, पी.डी. सबलानिया आदि, मिले और कहा कि ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएसंस फेडरेशन का नेतृत्व करें तो उन्हें थोड़ा सा अचंभा भी लगा। उस समय न तो जयंती मनाने की परंपरा थी और न ही अनुसूचित जाति/जन जाति की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई सक्रियता थी। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन जरूर हो रखा था लेकिन न तो इसका संविधान और न ही कोई पीछे की धरोहर मिली, बस सक्रियता उनके नेतृत्व में चालू हो गयी और बहुत जल्दी ही इसकी ताक़त का एहसास विभाग में हो गया। उस समय ज्यादातर अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों–अधिकारियों की तैनाती या तो टीडीएस में होती थी या सैलरी में, जिसे अच्छा नहीं माना जाता था अर्थात् कार्य के वितरण में भी भेदभाव था। सवर्ण लोगों की अच्छी जगहों पर तैनाती हुआ करती थी, लेकिन संघर्ष के माध्यम से ट्रांस्फर–पोस्टिंग की नई नीति बनी और सभी को असेसमेंट और गैर असेसमेंट में बराबर काम करने का मौका दिया गया। डॉ0 उदित राज ने कहा कि आयकर विभाग के कर्मचारी बाबा साहेब के करवां को आगे ले जाने में जो मदद देनी चाहिए वह नहीं करते हैं, लेकिन धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। कर्मचारी–अधिकारी यह न भूलें कि जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर उनकी नौकरी लगी है, इसलिए जाति की सेवा से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वे उस आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते जिससे दलितों को कमतर करके देखा जाता रहा। नौकरी और राजनीति में आरक्षण का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सदियों से मैला ढोने, सुअर पालन, कपड़ा धोना, चमड़े का काम करना आदि वाले आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते?जो मनुवादी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इसके पहले वे जाति के आधार पर न केवल पुराने आरक्षण का विरोध करें बल्कि उस पेशे को कम से कम 100 वर्ष तक करने की जिम्मेदारी ये भी लें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हुआ नहीं। यह भी दुख व्यक्त किया कि तथाकथित समाजवादी लोग पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयासरत् है, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधेयक को पास करने के लिए और वे दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए हैं और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगें। श्री पुनिया ने कहा कि यदि सवर्ण डॉ0 अम्बेडकर को नहीं मानेगें तो दलित–आदिवासी भी उनके समाज में पैदा हुए महापुरुषों को क्यों सम्मान देगें?अभी समय है, वरना प्रतिक्रिया देर–सबेर होना ही है और तब महापुरुषों का भी बंटवारा जाति के आधार पर हो जाएगा।

सुश्री प्रीता हरित ने कहा कि उन्हें लगभग 15 सालों के बाद दिल्ली आयकर विभाग में कमिश्नर के पद पर काम करने का मौका मिला। उनका सपना बचपन से ही समाज की सेवा का था। उनकी प्रेरणा के स्रोत उनके पिता थे और वे एक वरिष्ठ अधिकारी के पद पर दिल्ली सरकार में कार्यरत् थे। ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएसंस फेडरेशन निष्क्रिय देख गत् जनवरी से जान डालने का प्रयास किया। गत् 23 फरवरी को दिल्ली में 10 राज्यों से आयकर विभाग के लोग एकट्ठा होकर फिर से संस्था को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प लिया जहां डॉ0 उदित राज ने छोड़ा था। सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अरविंद रामटेके को राष्ट्रीय महासचिव एवं रमेश चन्द्र को कोषाध्यक्ष। प्रीता जी ने कहा कि सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं और आयकर विभाग के कर्मचारियों–अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ को ताक़त देकर पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के अधिकार के लिए पूरी शक्ति देना चाहिए। केवल जीने–खाने एवं परिवार को चलाना ही जिंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। यह काम तो जानवर भी कर लेते हैं। हम हर तरह से क्षम्य हैं, इसलिए जिस समाज से आते हैं, उसे उठाने की भी जिम्मेदारी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। केवल जिंदगी जीना कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है लेकिन उसे दबे और कुचलों को उठाने एवं स्वयं के सम्मान के साथ जीना ही सही उद्देश्य है और असली जीना है। न जाने क्यों वरिष्ठ पदों पर लोग रहते हुए भी वंचितों के बारे में महसूस नहीं करते। ये लोग अपने गिरेबान में झांकें और महसूस करें कि आखिर में जिंदगी का क्या उद्देश्य है? उपस्थित सैकड़ों लोगों का आभार प्रकट किया कि उन्होंने साथ दिया और यह भी अपील किया कि भविष्य में और ज्यादा मजबूती से जुडें और इस कारवां को बहुत आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि वे बहुत कुछ करना चाहती हैं। श्री जयंत मिश्रा जो आई.आर.एस. एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, को धन्यवाद दिया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी महत्त्वपूर्ण सर्विस के एसोसिएशन द्वारा यह आश्वासन दिया कि डॉ0 अम्बेडकर की जयंती वह मनाएगा। जब आई.आर.एस. एसोसिएशन डॉ0 अम्बेडकर की जयंती मनाएगा तो कल आई.ए.एस. , आई.पी.एस. सहित अन्य संगठन एवं एसोसिएशन ऐसा करने के लिए बाध्य होगें। इस तरह से डॉ0 अम्बेडकर न केवल दलितों में सम्मानित किए जाएंगें बल्कि पूरा देश धीरे–धीरे करने के लिए बाध्य होगा।

डिप्टी कमिश्नर, इन्कम टैक्स, श्री राजेश कुमार ने सबको धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में किसन कुमार, राव, परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार, मुंशी राम, ह्रदय लाल, जितेन्द्र सोनकर आदि ने विशेष सहयोग दिया। गाजियाबाद से एन.पी. सिंह एवं संजीव बिम्बिसारिया और फरीदाबाद व गुड़गांव से सुनीता दुग्गल साथियों सहित आए।

बांये से मंच पर डॉ. उदित राज, कौशल किशोर, सांसद, नमो नारायण मीणा, वित्त राज्य मंत्री, पी. एल. पुनिया, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद, जयंत मिश्रा, उपाध्यक्ष, आईआरएस एसो., प्रीता हरित, अध्यक्ष, ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एस/एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसो. फेडरेशन

बेहतर शासन प्रणाली से दक्षिणी राज्य बढ़ रहे हैं आगे

बेंग्लुरु। अच्छी शासन प्रणाली और बेहतर नेतृत्व के कारण दक्षिण राज्य उत्तरी राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय और गरीबी का फासला बढ़ रहा है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) के अध्ययन के मुताबिक, दक्षिण राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और केरल) की प्रति व्यक्ति आय हाल के सालों में बढ़ी है और इसकी वजह है बेहतर शासन प्रणाली, बेहतर नेतृत्व और राजनीतिक स्थिरता।

वित्त वर्ष 2009–10 में दक्षिण राज्यों में प्रति व्यक्ति आय (193–94 के मूल्य के आधार पर) 19,531 रूपए थी जो उत्तरी राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़) में सिफ 8,951 रूपए थी। वित्त वर्ष 2009–10 में दक्षिणी राज्यों में औसत गरीबी दर (ग्रामीण और शहरी) 19 फीसद थी जो उत्तरी राज्यों में 38 फीसद थी।

रपट में कहा गया कि 50 साल पहले तस्वीर अलग थी। दक्षिणी राज्यों में 1960 के दौर में ग्रामीण गरीबी दर 66 फीसद थी जबकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह 55 फीसद थी। दक्षिण के नौजवान उत्तर भारत के शहरों में रोजगार के लिए आते थे। रपट के मुताबिक, फिलहाल दक्षिण भारतीयों का उत्तरी राज्यों में आना कम हुआ है जबकि उत्तरी भारत के निवासी काम की तलाश में भारी संख्या में दक्षिण की ओर रुख कर रहे हैं।

पीएसी की रपट के मुताबिक, विभिन्न कारणों से आधी सदी में यह तस्वीर बदल गई। स्वतंत्रता से अब तक दक्षिणी राज्यों में साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रजनन दर और अन्य कारणों से उत्पादकता बढ़ी। पीएसी गैर सरकारी संगठन है जो भारत में शासन प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है।

पीएसी के मुताबिक, दक्षिण में शासन प्रणाली की गुणवत्ता और नेतृत्व बेहतर रहा जो मुख्यमंत्रियों के लंबे कार्यकाल (राजनीतिक स्थिरता) और बेहतर प्रशासन (पुलिस फायरिंग की संख्या कम होना, पुलिस का बेहतर अनुपात में होना, न्यायालय में लंबित मामलों के अनुपात) से जाहिर होता है।

दक्षिण तकनीकी शिक्षा, दूरसंचार घनत्व, बिजली और शहरीकरण के मामले में भी आगे रहा। देश के आधे से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण में हैं। बेहतर शासन प्रणाली के कारण इन चीजों को मदद मिली और सरकार अपने दुर्लभ संसाधन का उपयोग ज्यादा अच्छी तरह कर सकी।

पीएसी के सैमुअल पॉल ने कहा कि दक्षिण में सिर्फ आपूर्ति पक्ष (सरकारी मशीनरी) की वजह से ही चमत्कार नहीं हुआ। दक्षिण के सामाजिक आंदोलनों ने भी लोगों को सरकारी महकमों से बेहतर और समता वाली वाली व्यवस्था की मांग करने के प्रति ज्यादा जागरूक बनाया।

सदी भर पहले केरल और तमिलनाडु (पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी) में आबादी के बड़े हिस्से खास तौर पर निम्न जातियों को संगठित करने, शिक्षा को आगे बढ़ाने और सरकारी महकमों में नौकरियों में आरक्षण के लिए जोरदार आंदोलन हुए। वहां की सरकारों ने इन पर ध्यान दिया और नतीजा यह हुआ है कि दक्षिण राज्यों में शिक्षा, जागरूकता, नेटवर्किंग और उद्यमिता बढ़ी

पॉल ने कहा कि इससे ज्यादा समावेशी वृद्धि के माडल की नींव पड़ी। उत्तरी राज्यों में ऐसे सामाजिक आंदोलनों का अभाव रहा जहां निम्न जातियों की ओर से बेहतर कामकाज और हक की मांग नहीं हुई या फिर इसका उपयोग सिर्फ राजनीतिक पहचान के लिए नहीं किया गया। मांग नहीं थी इसलिए आपूर्ति पक्ष पर दबाव भी कम रहा।

¼lkHkkj½ tulÙkk½

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

भूमि अधिग्रहण और आदिवासी

रमणिका गुप्ता

आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार–बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब–जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन–भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या पर्यावरण का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का या फिर मलमूत्र ढोने की प्रथा के खात्मे का। इससे सरकार के इसी रवैए का पता चलता है कि वह जन–सरोकारों पर चिंता तो खूब दिखाती है, मगर चिंता का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने नहीं देती।

यह तो भला हो सोनिया गांधी का, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मसविदे में एक संशोधन तो करवा ही दिया कि निजी उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण करना हो तो अस्सी प्रतिशत जमीन–मालिकों की सहमति जरूरी है। लेकिन मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक और निजी साझेदारी में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए सत्तर प्रतिशत सहमति को ही पर्याप्त समझा। हालांकि पहले इस अधिनियम के मसविदे में यह प्रावधान किया गया था कि निजी कंपनियां खुद जमीन मालिकों से सौदा करेंगी और सरकार को किसी भी निजी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहीत नहीं करनी होगी। लेकिन लगता है मंत्रिमंडल ने यह सारी सिरदर्दी सिर्फ निजी क्षेत्र को खुश करने के लिए ही अपने सिर पर लेने का फैसला किया।

मूल विधेयक में यह भी प्रावधान था कि अधिग्रहीत किए जाने वाले क्षेत्र में ऐसे भूमिहीन लोगों की भी सहमति ली जाए जिनकी जीविका इस जमीन पर आधारित है। इस प्रावधान को भी मंत्रिमंडल ने मसविदे से हटा दिया। सरकार ने यह भी तय नहीं किया कि संयुक्त क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा कौन कितना देगा। इसे लेकर भी बाद में विवाद पैदा होंगे ही।

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून में अधिसूचित क्षेत्रों या वनभूमि अधिनियम के तहत आने वाली जमीन के अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी तो अनिवार्य की गई है लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं या सरकारी परियोजनाओं की खातिर अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के लिए ग्रामीणों की सहमति की यह शर्त नहीं रखी गई। यहीं पर पेच है। दरअसल यह एक बड़ा मुद्दा है, जिसे सरकार बड़ी चालाकी से विचार के दायरे से बाहर रखने में कामयाब हो गई है। देश की कोयला खदानों के वास्ते खनन के लिए ली जाने वाली जमीन के लिए 1894 का अधिग्रहण अधिनियम लागू ही नहीं होता। वह केवल भवन, सड़क, बांध, हवाई–अड्डे या अन्य उद्योगों और सामुदायिक विकास आदि के लिए ली जाने वाली जमीन के लिए ही लागू होता है। कोयला खनन के लिए तो जमीन केवल कोयला क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत ही अधिग्रहीत की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत सरकार जब चाहे किसी की भी जमीन पुलिस या सेना भेज कर ले सकती है। आज भी यह कानून लागू है।

इस बार भूमि अधिग्रहण के लिए पेश किए गए संशोधन में भी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में जमीन मालिकों की राय लेना जरूरी नहीं समझा, जबकि सैकड़ों एकड़ जमीन कोयला खदानों के लिए कोयला क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत ली गई और ली जा रही है, जिसके चलते लाखों आदिवासी और दलित विस्थापित होकर जबरन पलायन करने को मजबूर कर दिए गए हैं। इस बार भी सरकार ने कोयला क्षेत्र अधिनियम, 1957 को छुआ तक नहीं है। यह सर्वविदित है कि जहां–जहां आदिवासी बसे हैं वहां–वहां कोयला और अन्य खनिज हैं। इस अधिनियम से समस्या का कुछ समाधान तो हुआ है, लेकिन पूरा नहीं।

कई खदानों के लिए हजारीबाग जिले में 1963–65 में जमीन ली गई थी, लेकिन उन्हें चालू किया गया 1980 में। खदानें चलाने के बाद मुआवजे की दर 1960–63 के अनुसार ही देने की पेशकश की गई। इसी के विरुद्ध हजारीबाग और गिरिडीह जिलों के किसानों ने, जिनमें अधिकतर आदिवासी और पिछड़े थे, हमारी कोलफील्ड लेबर यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया था। हजारीबाग और गिरिडीह में अवस्थित खदानों के इर्दगिर्द के विस्थापित किसान हल–बैल लेकर खदानों में घुस गए। दो हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी। मैंने जेल से ही सुप्रीम कोर्ट को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा। अखबारों में किसानों की गिरफ्तारी की खबर छपी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की खबर पर स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे को याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और कपिल सिब्बल (वर्तमान यूपीए सरकार के मंत्री) को यह मुकदमा लड़ने के लिए सौंप दिया। वे किसानों की तरफ से वकील नियुक्त किए गए थे। शीबा सिब्बल उनकी कनिष्ठ सहयोगी थीं।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, शीबा ने ग्रामीणों से सब सूचनाएं एकत्रित कीं और हजारीबाग और कुजु क्षेत्र में स्थित तेरह खदानों के गिर्द बसे तीन हजार किसानों के दावे दायर किए। दो महीने बाद बिहार सरकार ने मुझ सहित दो हजार किसानों पर से मुकदमे वापस ले लिए। जेल से छूटने के बाद हमने कोल इंडिया द्वारा मजदूरों खासकर महिला कामगारों के लिए शुरू की गई स्वैच्छिक अवकाश योजना और कोल बियरिंग एरिया एक्ट, 1957 के विरूद्ध इस क्षेत्र के किसानों से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवा दी। दूसरी याचिका मैंने मांडू की विधायक होने के नाते, इन्हीं मुद्दों को लेकर दायर की, जिसमें सीसीएल के साथ–साथ कोल इंडिया को भी पक्षकार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर स्थगन आदेश देकर, स्वैच्छिक अवकाश और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

इधर लोक हितकारी भूमि अधिग्रहण कानून बनाने का प्रचार हो रहा है, तो उधर सरकार खदानों के राष्ट्रीयकरण कानून को पिछले दरवाजे से खत्म करने की मुहिम चला रही है। बड़े–बड़े कॉरपोरेट घरानों को कोयले की खदानें देना इसका प्रमाण है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि निजी मालिक राष्ट्र की इस मूल्यवान संपत्ति का दोहन अवैज्ञानिक तरीके से करते थे। वे खदानों को सीधा (वर्टिकल) काटते थे और कोयले का अनंत भंडार मिट्टी–पत्थर के नीचे दबा रहने देते थे। जितना नीचे खदान जाती है, कोयले की लागत या उत्पादन–मूल्य उतना ही बढ़ जाता है और खदान

चलाने वाले, चाहे वे विदेशी कंपनी के थे या स्थानीय ठेकेदार या कंपनी के देसी मालिक या माफिया, सब तुरंत मुनाफा कमाने के लिए खदानों को अनुत्पादक बना कर छोड़ देते थे। उन्हें फिर से चालू करने के लिए दुगुनी–तिगुनी राशि खर्च करने की जरूरत पड़ती थी। 1965–1970 के बीच सरकारी पेशकश के बावजूद, कोयला खदानों के मालिक खदानों को वैज्ञानिक तरीके से चलाने के लिए अतिरिक्त धन निवेश करने को तैयार नहीं थे।

दूसरा बड़ा कारण था कोयला खदानों के माफिया और ठेकेदारों के माध्यम से, खासकर धनबाद में एकत्रित धन से, बिहार की सरकारों को अस्थिर करना। उन दिनों सरकार कांग्रेस की ही होती थी। कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने के लिए हर छह महीने बाद इस पैसे के बल पर कोई न कोई मुहिम शुरू हो जाती थी। कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण कर धनबाद में बीसीसीएल बनाने के यही दो मुख्य कारण थे। इस्पात संयंत्रों और कई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत में कोयला ही एकमात्र स्त्रोत था। संयंत्रों का चलना जरूरी था। इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उसे खत्म किया जा रहा है?

सरकार जो कानून पास करने की योजना बना रही है उससे कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन किसानों, आदिवासियों और दलितों को पूरा न्याय देने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से आदिवासी आबादी विस्थापन ही नहीं बहु–विस्थापन झेल रही है।

अधिकतर कोयला क्षेत्र आदिवासी बहुल हैं। अब भी इन क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची लागू नहीं की गई है। इन दोनों प्रावधानों के तहत राज्यपाल को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सरकार ने वनभूमि अधिनियम या अनुसूची के तहत आने वाली जमीन के अधिग्रहण के लिए केवल ग्राम–सभा की मंजूरी को अनिवार्य माना है। वनों में बसने वालों की सहमति लेना आवश्यक नहीं माना। वन अधिनियम के कई प्रावधान विवादित हैं और उनके चलते वनों में निवास करने वालों के लिए दावे दायर करना या फिर उनके दावों को मंजूरी मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है।

जमीन पर मिल्कियत का दावा करने वाले गैर–आदिवासियों या अन्य परंपरागत निवासियों के लिए सरकार ने पचहत्तर वर्षों से उस जमीन पर निवास के प्रमाण देने की शर्त रखी है। इससे भी कठिनाइयां आ रही हैं और उनके दावे अस्वीकृत हो गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासियों के दावे अस्वीकृत होने की दर काफी ऊंची है। सरकार ने अलग से आदिवासियों के अस्वीकृत दावों की संख्या नहीं दर्शाई। पर उसने यह स्वीकार किया है कि कुल दावों में से साठ प्रतिशत नकार दिए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और भाजपा के शासन वाले राज्यों में दायर दावों की संख्या काफी कम है। कांग्रेस शासित राज्यों में स्वीकृत दावे आंध्र प्रदेश में 51 फीसद, महाराष्ट्र में 29 फीसद और राजस्थान में 50 फीसद हैं। जबकि भाजपा शासित राज्यों की स्थिति इस संदर्भ में काफी बदतर है। छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 36.5 प्रतिशत और गुजरात में 20 प्रतिशत दावे ही स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आदिवासियों की आबादी अच्छी–खासी है। जबकि वामशासित राज्यों में स्थिति इससे बेहतर है। त्रिपुरा में 65 प्रतिशत दावे स्वीकृत किए गए हैं। केरल में यह आंकड़ा 62 प्रतिशत है जहां वाम मोर्चा की सरकार थी।

वन अधिनियम के तहत तो आदिवासियों की जमीन लेनी ही नहीं चाहिए, चूंकि यह जमीन पांचवीं अनुसूची में आती हैं। भू–अर्जन अधिनियम पांचवीं अनुसूची को भी नजरअंदाज करता है। ऐसी जमीन जो पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत हैं, उस पर भी धड़ल्ले से करार किए जा रहे हैं। फलतः भारी संख्या में आदिवासी विस्थापन का दंश झेलने को अभिशप्त हैं।

वनों में रहने वाले आदिवासियों की जमीन जहां पांचवीं अनुसूची में आती है वहीं वन अधिनियम के तहत भी। सरकार ने इस जमीन की बाबत आदिवासियों की सहमति की शर्त नहीं रखी। यह एक प्रकार से आदिवासियों को पांचवीं अनुसूची में दिए गए उनके अधिकारों से वंचित रखना है। जंगल सीमांकन के विवाद अलग से आदिवासियों को आतंकित किए रहते हैं।

कई देशों में शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदली गई। भारत में कई समस्याओं के बावजूद प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है।

अमेरिका व ब्रिटेन में प्रजातंत्र विभिन्न कारणों से प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में राजनीतिक परिदृश्य का ध्रुवीकरण चुनौती बना हुआ है। अरब जगत में चली प्रजातंत्र की हवा ने आशा पैदा की है। हालांकि, इन देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था अनिश्चितता के दौर में हैं।

दूसरों का हिस्सा हड़पने वाले

सुभाष गाताडे

बीते दिनों जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोती कश्यप के निर्वाचन को फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर अवैध घोषित किया। कटनी जिले के बड़वारा से चुनाव जीते मोती यों तो पिछड़ी जाति से संबद्ध रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव अनुसूचित तबके के लिए आरक्षित सीट से लड़ा। उनके चुनाव को बड़वारा के रामलाल कोल ने चुनौती दी थी। केवट जाति के मोती कश्यप को, जिन्होंने मांझी जाति का प्रमाणपत्र जमा किया था, शिवराज सिंह सरकार में मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले धार जिले से नीना वर्मा और गुना से राजेंद्र सलूजा के चुनाव को अदालत इसी आधार पर खारिज कर चुकी है।

बहरहाल, जिस दिन यह खबर आई, उसी दिन ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर के वीर सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम करने का निर्णय अदालत ने दिया, जिसने अनुसूचित जाति के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा जमाने के लिए इसी तरह फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था। इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मसले पर याचिका दायर की थी। फर्जी जाति प्रमाणपत्र का मसला देशव्यापी हो चुका है। यह भी खबर आई है कि केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग ऐंड डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ शेडयूल्ड कास्ट्स ऐंड शेडयूल्ड ट्राइब्स का विजिलेंस सेल पिछले दिनों अधिक व्यस्त रहा, जिसे केरल सरकार की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल सामान्य श्रेणी एवं पिछड़ी श्रेणी के तमाम प्रत्याशियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर आरक्षण का लाभ उठाने के मामले की जांच का जिम्मा दिया गया था। उसने ऐसे 659 मामले चिह्नित किए। इस पड़ताल की जरूरत तब पड़ी, जब कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एक्जामिनेशंस ने कई संदेहास्पद आवेदनों को लेकर जांच करने की सिफारिश की। जानकार बता सकते हैं कि यह कोई पहला साल नहीं है, जब ऐसे मामले सामने आए हों। अभी पिछले साल की इसी विजिलेंस सेल ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए बने कमिश्नर को 882 ऐसे मामलों की जानकारी दी थी, मगर इनमें से महज तीन में ही कार्रवाई हुई।

स्पष्ट है कि अधिकारी स्तर पर लापरवाही कहें या वर्ण मानसिकता की जकड़न, हर साल बोगस जाति प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर हजारों छात्र अनुसूचित तबके के लिए मंजूर सीटों पर कब्जा जमा रहे हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बनी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायालय का इन मामलों में हस्तक्षेप, आए दिन ऐसे मसले चर्चा में आते रहते हैं। आठ वर्ष पहले हरियाणा में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात एक अफसर (संजय भाटिया) का मामला भी खूब तूल पकड़ा था। उसे भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत सजा भी सुना दी गई थी। उस पर यह आरोप प्रमाणित हो चुका था कि भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए राजपूत परिवार में पैदा उस शख्स ने दिल्ली के उप–आयुक्त के दफ्तर से गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल किया था।

अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में झूठे जाति प्रमाणपत्रों की समस्या पर कई बार रोशनी डाली है। उसकी दो रिपोर्ट में तो इस पर एक अलग अध्याय भी जोड़ा गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि झूठे प्रमाणपत्रों की समस्या के व्यापक प्रसार से चिंतित होकर आयोग ने 1996 में कई राज्यों में विशेष तथ्य संग्रह किया था। तमिलनाडु में 12 केंद्रीय संगठनों की ऐसी जांच में पाया गया कि वहां पर अनुसूचित जनजाति का झूठा प्रमाणपत्र जमा करके 338 लोगों ने नौकरियां पाई हैं। आयोग की सख्त कार्रवाई के बावजूद इनमें से सिर्फ छह लोगों को काफी विलंब के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया। बाकी ने स्थानीय अदालतों की शरण ली और स्थगनादेश हासिल किया।

आखिर ऐसा क्या तरीका है कि फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल से सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित तबकों को अपने अधिकारों से वंचित करने की इस परिघटना पर काबू किया जाए?दरअसल, ज्यादा बुनियादी मसला यही जान पड़ता है कि आरक्षण की योजना कार्यपालिका के निर्देशों पर टिकी है, जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी किस्म की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती।

(साभार– अमर उजाला)

भारतीय प्रजातंत्र 36वें नंबर पर

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हों, लेकिन ये दोनों देश पहले दस पायदान पर आने में विफल रहे। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने भारत को दुनिया में 38वां और अमेरिका को 21वां स्थान दिया है। मैगजीन ने 165 देशों पर अपना प्रजातंत्र इंडेक्स गत् दिनों जारी किया, जिसमें भारत को इस इंडेक्स पर 7.52 नंबर मिले हैं।

दुनिया के टॉप–3 प्रजातंत्र में नॉर्वे 9.93 नंबर के साथ पहले, स्वीडन (9.73) दूसरे व आइसलैंड (9.65) तीसरे स्थान पर है। पत्रिका ने भारतीय चुनाव पद्धति, सभी वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व और नागरिक स्वतंत्रता की प्रशंसा की है।

अमेरिका को इस सूची में 8.11 नंबर के साथ 21वां स्थान मिला है। पत्रिका ने पांचवीं बार यह इंडेक्स प्रकाशित किया है। पांचवें संस्करण में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार को प्रमुखता दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण–एशिया में प्रजातांत्रिक विकास विविधता से भरा हुआ है। उत्तर कोरिया, लाओस, वियतनाम और चीन में भले ही प्रजातंत्र न दिखाई देता हो, लेकिन पूरे क्षेत्र में प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत होती जा रही हैं। पिछले दशक के दौरान 20 एशियाई देशों में चुनाव हुए।

(साभार– दैनिक जागरणा)

चार वर्ष का स्नातक दलित एवं पिछड़ों के लिए अतिघातक

देश के महत्वपूर्ण लोग जैसे डॉ. उदित राज, डॉ. हनी बाबू, डॉ. शास्वती मजूमदार, डॉ. एस. के. सागर, डॉ. विजय वेंकटरमन, डॉ. सुकुमार, डॉ. केदार मंडल, डॉ. कौशल पवार, डॉ. सतवीर बरवाल, डॉ. श्री भगवान ठाकूर, डॉ. प्रभाकर पलाका, अनूप पटेल, लेनिन विनोबर, डॉ. देव कुमार ने ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) का गठन इसलिए किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम जितना लाभ का नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। 10 मई को यूजीसी को इस संबंध में ज्ञापन देकर अनुरोध किया गया कि इसे तुरंत रोका जाए।

यह आश्चर्य होता है कि यूजीसी इस पूरे मामले पर मूक दर्शक क्यों बनी है। क्या यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुमति दी है कि वह चार वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम लागू करे, अगर ऐसा है तो कब विश्वविद्यालय ने अनुमति मांगी और उसे इजाजत दी गयी। देश में 600 विश्वविद्यालय हैं तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय केवल अनोखा है जो इस पाठ्यक्रम को त्वरित गति से लागू करने पर आमादा है। यदि इतना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में करना ही था तो भारत सरकार और यूजीसी के तरफ से शुरुआत होनी चाहिए थी। इस पर पहले राष्ट्रीय बहस होती। दिल्ली विश्वविद्यालय के वॉइस चांसलर का कथन असत्य है कि उन्हें इस कृत्य के लिए समर्थन मिला है लेकिन यह दबाव और छल–कपट से हासिल हुआ है। चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के वजह से गरीब, देहात, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े छात्रों के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा जिससे वे भारी पैमाने पर मल्टीपल एक्जिट अर्थात् दूसरे एवं तीसरे वर्ष में अध्ययन को छोड़ देंगे। ये छात्र बड़े मुश्किल से हाई स्कूल में अंग्रेजी और गणित विषयों में पास होते हैं और उन्हें फिर से फाउंडेशन कोर्स में पढ़ना पड़ेगा जिससे शिक्षा के प्रसार पर भारी असर पड़ेगा। क्या वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम को लागू करने में तेजी दिखा रहा है।

हम विश्वविद्यालय के आत्मनिर्भरता के पक्ष में है लेकिन यदि वह समाज के सभी वर्गों के पक्ष में हो तो। मानव संसाधन एवं यूजीसी अपनी जिम्मेदारी से मूंह नहीं मोड़ सकते कि वह कैसे विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। असाधारण परिस्थिति में असाधारण कदम उठाना उचित होता है और वह स्थिति अब विश्वविद्यालय ने पैदा कर दी है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय संविधान के ऊपर है? यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के वॉइस चांसलर शिक्षा के प्रचार–प्रसार के पक्ष में होते तो इन वर्गों के छात्रों को पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए तो इससे पहले वे अन्य जरूरी कार्य जैसे आरक्षण, बुनियादी सुविधाएं छात्र एवं अध्यापक अनुपात और खाली पदों पर भर्ती पर ध्यान देते। सरकार चाहती है कि शिक्षा सब तक पहुंचे लेकिन कुलपति के इस कृत्य से वह अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहेगी। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें छूट देना चाहिए। साथ ही उत्तीर्ण करने का प्राप्तांक 40 प्रतिशत ना करके 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) महसूस करता है कि ना केवल गरीब, देहात, हिंदी भाषी छात्र शिक्षा से वंचित होंगे बल्कि दलित और पिछड़े भी। ये देश के बहुसंख्यक लोग हैं और इतनी बड़ी आवाज की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूजीसी को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए और फिर भी कुलपति बाज नहीं आते हैं तो अनुदान को रोक देना चाहिए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो शीघ्र ही बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

Onslaught on education by DU Voice Chancellor

Joint Action Front for Democratic Education (SC / ST/ OBC/ Left) represented by eminent personalities like Dr. Udit Raj, Dr. Hany Babu, Dr. Sukumar, Dr. Vijaya Venkataraman, Dr. S.K Sagar, Dr. Kedar Kumar Mandal, Dr. Shaswati Mazumdar, Dr. Satveer S. Barwal, Dr. Kaushal Panwar, Dr. Shree Bhagwan Thakur, Dr. Prabhakar Palaka, Anoop Patel, Lenin Vinober, Dr. R. K Raman, Dr. Dev Kumar, submitted a memorandum to the UGC on 10th May to stop immediately the onslaught on education by Delhi Unversity VC.

It is surprising why the UGC has been a silent spectator to this. Has the UGC permitted Delhi University to switch over to the four year undergraduate programme, if so, when was the permission sought and granted? If a policy change were necessary, then the Government of India and the UGC should have initiated a debate to discuss the new four year programme for implementation all over the country. Though the Vice-Chancellor claims support from some quarters, it is being garnered either through manipulation, coercion or cooption. The financial implications for SC/ ST/ OBC and poor students, the disparities which will be further accentuated with multiple exit points leading to Diploma / Degree and Honours, compulsory courses like Maths and Science with no choice in the Foundation Courses are, among other things, reasons why this decision of Delhi University should be disallowed.

We respect the autonomy of the university so long as it is in the interest of all sections of society. Other bodies like UGC, Ministry can't shirk their responsibility that they would not interfere in the University matters in the name of autonomy. In exceptional situations, these bodies are to take exceptional decisions. Is Delhi University above the Constitution? Had the Vice-Chancellor been sincere to the cause of society and education both, he would have first bothered about proper implementation of reservation, infrastructure, teacher-student ratio and filling up of vacant positions. The Government of India wants to educate the whole country but the current Vice-Chancellor of Delhi University will further limit access to education to the elite.

The Joint Action Front for Democratic Education (SC/ST/OBC/Left) feels that not only the poor but also the SC /ST /OBC and progressive sections of society will be further excluded from quality education. Keeping in view the majority voice of these sections, the UGC must intervene and prevent Delhi University from implementing the four year programme. The UGC could also consider stopping of grant to Delhi University if it goes ahead with its plan.

(Rest of Page-7...)

Massive Rally at Lucknow

earnestly and also urged the Central Government to push up the case for reservation in private sector. Atrocities and victimization have increased and this is being deliberately. This is not going to help the Samajwadi Party in any way. On the other hand, it will impede the process of development in the State. A strong demand was made at the rally that the State Government should take adequate steps to stop injustice against Dalits and Adivasis.

2.Recently, the UP Government hastened the process of including 17 castes in the backward list but this requires ratification by the Parliament. Even if this is ratified, the reservation cannot be more than 50%. Just as has been done by the Bihar Government , there was a division of the quota to give the benefits of reservation to the most backwards and forward backwards according to their population. Why does the UP State Government not adopt the same policy for reservation of the most backwards and forward backwards. As a matter of fact, a big fraud is going on against Muslims and the most backwards which the State Government can give to them but unfortunately it is not doing so.

3. The Samajwadi Party had promised to give 18% reservation to Muslims but even after the expiry of one year, the decision on this account does not appear anywhere in sight. For giving reservation of 18% to Muslims, ratification by the Parliament is required which can be done only by the Central Government. Till then, out of the 27% quota for backwards, share of the Muslims may be kept out. Muslims are getting 4% quota in Kerala, 10% in Kerala and 12% in West Bengal and in that case why similar provisions can be made in Uttar Pradesh. Just as Hindu, Sikh and Buddhist Dalits are getting reservation, in the same way, Muslim and Christian Dalits should also be given similar rights. The Central Government has filed its reply in the Supreme Court and due to this reason, the matter is pending.

4. The development of any country is not possible unless in different spheres of life, there is participation of all the sections of the society in governance. Without equal and compulsory education, no society can make any real progress. The deprived sections of the society should be given reservation in judiciary and army and everybody may be provided employment or else an unemployed person may be given reasonable unemployment allowance. Struggles and demonstrations are being launched for abolition of economic corruption but it is not possible to abolish it unless social and economic corruption is abolished.

In today's rally, prominent people who were present appealed to the Hon'ble Governor to resolve our demands on a priority basis.

Legislation Against Caste Discrimination in Britain

Rosemary

Rosemary, a Dalit activist from Britain, reports that Britain has become the first country outside South Asia, to legislate against caste discrimination. After years of campaigning and several rallies and demonstrations by UK Dalit and Dalit Solidarity organizations, for a suitable law against caste discrimination, the British Lower House of Parliament has agreed to include caste discrimination in section 9(5) of Equalities Act as "an aspect of race". Earlier this legislation was rejected by the House of Lords on the ground that caste discrimination did not exist in U.K. However, keeping in view the fact that there are more than 50 thousands Dalits in U.K., the House of Commons passed the legislation against caste discrimination as "an aspect of race". This will not only offer legal protection to Britain's hundreds of thousands of Dalits but will give encouragement to Dalits to ask for similar legislation in countries like Canada, USA, France and Italy, where they have a sizeable population.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Massive Rally at Lucknow

A massive rally was organized at Jhule Lal Park, Lucknow, on 20.4.2013, for reservation in promotions, participation of Backwards and Muslims in governance and for putting an end on atrocities against Dalits. Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations, Shri Bhawan Nath Paswan, State President ,All India Confederation of SC/ST Organizations, Shri Kaushal Kishor, National President, Parakh Maha Sangh and former Minister, Dr. Zafar Mahmood, Head of the Zakat Foundation, Shri P.C. Kureel, Coordinator of the National Bhagidari Andolan, Shri Hari Shankar Mahaur, All India Kori/Koli Samaj, Shri Bhawan Nath Paswan, State President ,All India Confederation of SC/ST Organizations, Shri Kali Charan Sonkar, Shri Mohd. Kamil, National General Secretary of Indian Justice Party, former M.L.A. and State President of Indian Justice Party, Dr. Shyam Kumar, National President, National Hari Samaj, Ms Reena Chaudhary, former M.P. and Shri Mohd. Kamil, National General Secretary of Indian Justice Party addressed the rally and a Memorandum of the following demands was presented to the Hon'ble Governor, Uttar Pradesh :

1. In Uttar Pradesh, not only the law and order position has deteriorated but also the pace of development has come to a grinding halt.The Indian society is composed of different castes. As such, the Government should formulate its policies keeping in the social and political conditions of the people of different castes. Dalits and Adivasis have been victims of exploitation for centuries. Whatever progress has taken place because of privatization and globalization, has also slowed down. All sorts of promised have been made for the welfare of minorities but the same have not been implemented. In the struggle for social justice, there was a provision for giving suitable reservation in Government jobs for Backwards but people from powerful castes are reaping the benefit of this facility.

1.Even after 65 years of Independence, the benefits of reservation have not fully reached Dalits and Adivasis. On the contrary, the judiciary, bureaucracy and the political class are busy taking away their right for reservation in promotions. The Lucknow High Court in its judgement on 4th January, 2011, abolished this right. At that time, the UP Government did not respond to the three conditions stipulated by the Supreme Court for continuing reservation in promotions i.e. lack of representation, backwardness and efficiency. There was also a provision in this judgement that the State Government, if it so desired, could implement the policy of reservation in promotions on fulfillment of these stipulations but instead of doing so, UP Government filed an SLP in the Supreme Court, and the Supreme Court upheld the Lucknow High Court judgement in this regard on 27th April, 2012 and on the 18th December, Rajya Sabha passed 11th Constitution amendment which paved the way for reservation in promotions but it is still pending in Lok Sabha. The Akhilesh Government put an embargo on the right for reservation in promotion while it claims to be a protagonist of social justice. Whenever this matter came up before other State Governments, it was taken up seriously. For example, Rajasthan Government set up Bhatnagar Committee which fulfilled the conditions stipulated by the Supreme Court as a result of which the right of reservation in promotions was restored. At this rally at the Jhule Lal Maidan, a strong demand was made for restoration of the right of reservation in promotion. Privation and globalization had adversely affected jobs in the Government sector and as such it is imperative that the right for reservation in promotions should be implemented

Prominent leaders from different organizations on the dice (L to R): Md. Kamil, Bhavannath Paswan, Kaushal Kishor, Dr. Udit Raj, P.C. Kureel and others.

(Rest on Page-6...)

Front View of the huge gathering at the Rally.

SCs, STs form 25% of population, says Census 2011 data

The government Tuesday released the first set of final data from the population enumeration (Census 2011) held in February 2011. Also called the Primary Census Abstract, it pegs the population of Scheduled Castes at 16.6 per cent and Scheduled Tribes at 8.6 per cent, together forming a quarter of the total population. The data comes out at a time when political parties are busy drawing up gameplan for the 2014 general elections.

In the period 2001-11, the SCs grew by 20.8 per cent and STs by 23.7 per cent. The data shows the total population has witnessed a decadal increase of 17.7 per cent to touch 1.21 billion. But this Census data will not have an effect on the demarcation of parliamentary constituencies because as per the 2002 amendment to Constitution there will be no delimitation till the first census after 2026.

The highest SC population, 31.9 per cent of the state's total number, is in Punjab. Lakshadweep has the highest proportion of STs at 94.8 per cent.

Besides the SC/ST figures, the Census data pegs the work participation rate at 39.8 per cent. More than 60 per cent of the population does not participate in any economic activity. The figures may seem alarming but then students and homemakers have been categorised as 'non-workers', along with dependents, pensioners and beggars.

At 51.9 per cent, Himachal Pradesh has the highest work participation rate and Delhi, at 33.3 per cent, is among the states with lowest rates. Cultivators and agricultural labourers (54.6 per cent) form over half the working population.

(Courtesy : Indian Express)

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 12 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 May, 2013

लैंगिक दुराचार या व्याभिचार से दूर रहें।

&xkSre cq)

Delhi Income Tax Office Celebrated Dr. Ambedkar Jayanti

The All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Associations' Federation celebrated Dr. B.R. Ambedkar's 122nd Birth Anniversary with great pomp and show on 2nd May, 2013, at Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre, New Delhi. After several years, birth anniversary of Dr. Ambedkar was organized on a grand scale under the chairmanship of the National President of the Federation, Ms Preeta Harit. Perhaps it is for the first time that a person of the rank of Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena has graced the occasion of Dr. Ambedkar's birth anniversary celebrations in the Income Tax Department. Eminent guests including Shri P.L. Punia, Chairman, National Commission for Scheduled Castes, Shri Arjun Ram Meghwal, MP, Kunwar Rewati Raman Singh, MP and Shri Kamal Kishor, MP urged the audience to follow the ideology and policies of Dr. Ambedkar. Dr. Udit Raj, National Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organizations, who was and still actively involved with this organization, also participated in the celebrations. State Minister of Govt. of NCT of Delhi, Shri Ramakant Goswami, and Shri Harnam, Chairman of Safai Karamchari Commission of the Govt of NCT of Delhi, were also present as guests.

While addressing hundreds of employees and officers of the Income Tax Department, Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena said that we should be bold enough as struggle is one of the powerful tools by which we can fight for our rights and live with dignity and respect. It is our duty that we should guide those people who are neither aware of their rights nor are the aware of their right to equality. Shri Meena said that his doors are always open and they can call on him at any time and all out efforts will be made to resolve their problems . He further said that Ms Preeta Harit is always welcome to see me with the problems of the Income Tax employees.

Dr. Udit Raj said that when in 1996, some of the employees and officers of the Income Tax Department like Ramesh Chandra, Nain Singh, Ram Pal, Moti Lal Meghwal, P.D. Sablania etc. met him and persuaded him to lead All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Associations' Federation, I was a little surprised. At that time, there was no tradition of celebrating birth anniversary of Dr. Ambedkar nor there was any great enthusiasm for resolving the problems of SC/ST employees. Of course, this organization had been duly registered but the organization became powerful under his leadership and soon its impact became evident in the Income Tax Department. At that time, most of the SC/ST employees and officers of the Income Tax Department were either posted in T.D.S. or in the Salary Wing which is considered a routine job and thus there was discrimination even in the distribution of work. Upper caste people were posted on important seats but because of the continuous struggle of the Federation a new policy of transfers and postings was made and all were given equal opportunity for working on assessment and non-assessment jobs. Dr. Udit Raj said that SC/ST employees of the Income Tax Department do not extend the requisite support to take forward the mission of Baba Saheb but things are improving gradually. Employees and officers of the Income Tax Department should not forget that they have got jobs in the department because of their caste certificates and they cannot turn themselves away from the cause of serving the community. Why don't the people who oppose reservation, oppose reservation which creates discrimination against Dalits. The upper caste people oppose reservation in jobs and politics but do not oppose the centuries old reservation of jobs like night-soil carrying, pigs rearing, washing of clothes, leather-related jobs. Those Manuvadis who are opposing reservation in jobs and politics should first oppose centuries old caste-related reservation and should themselves undertake to carry out such jobs for at least one century.

Shri P.L. Punia, Chairman, National Commission for Scheduled Castes said that caste-based discrimination is still prevalent. He also expressed his regret that the so-called Socialists are opposing reservation in promotions. He said that the Government was doing its best to bring a Bill for reservation in promotions which will greatly benefit Dalits and Adivasis and we shall not make any compromise on this issue. Shri Punia said that if the upper caste people do not give due respect and honour to Dr. Ambedkar, Dalits and Adivasis will pay them in the same coin by ignoring their great people. There is still time for the upper caste people to mend their ways on this issue otherwise there will be strong reaction from the SC/ST people resulting in distribution of even great people on caste lines.

Ms Preeta Harit said that after about fifteen years, she has got an opportunity to work as Income Tax Commissioner in Delhi. Right from her childhood, she had a dream to serve the society. Her source of inspiration was her father who was posted as a senior officer in Delhi Government. After finding that the All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Associations' Federation was inactive, she tried to infuse a new lease of life in the Federation in the month of January this year. On the 23rd of February, 2013, employees and officers of 10 States gathered in Delhi decided to take the Federation to the heights where Dr. Udit Raj had left it. She was elected National President of the Federation unanimously. Shri Arvind Ramtake was elected National General Secretary and Shri Ramesh Chandra was elected Treasurer. Ms Preeta Harit said that Government jobs were shrinking fast and the employees and officers of the Income Tax Department should strengthen the hands of All India Confederation of SC/ST Organizations to enable them to press strongly for reservation in promotions and private sector. To bring up families and enjoy life should not be the only goals of life. Even animals fulfill these goals. We are capable in every way and it is our bounden duty to help the people of the society to which we belong. It is not enough to live life merely for the sake of it, but we should dedicate our lives for uplifting the downtrodden people and live ourselves with respect and dignity. It is surprising that people holding high and senior positions do not think about their deprived and depressed brethren. They should just introspect and try to find out as to what should be the goal of life. She expressed her gratitude to the hundreds of people present on the occasion and expressed the hope that they will strengthen her hands so that this caravan may be taken to great heights. She said emphatically that she wants to do a lot many things for the employees and officers of the Income Tax Department. She also thanked Shri Jayant Mishra, National Vice President of I.R.S. Officers Association who had assured on behalf of the Association that they will celebratre Dr. Ambedkar's birth anniversary which has happened for the first time in the country. When IRS Officers Association will celebrate Dr. Ambedkar's birth anniversary, other organizations like IAS officers association, IPS officers association and other bodies will also be forced to do so. Like this, Dr. Ambedkar will be honoured not only by Dalits but people from all walks of life in the country.

Shri Rajesh Kumar, Deputy Commissioner, Income Tax, thanked all the participants. Kissan Kumar, Rao, Vinod Kumar, General Secretary of All India Confederation of SC/ST Organizations Munshi Ram, Hriday Lal, Jitender Sonkar etc. extended full cooperation in making the programme a great success. Shri N.P. Singh and Shri Sanjeev Bimbsaria of Ghaziabad and some colleagues of Sunita Duggal from Faridabad and Gurgaon also participated in the

(Distinguished participants on the dais (L to R) : Dr. Udit raj, Kamal Kishore,MP, Namo Narain Meena, Minister of State for Finance, P.L.Punia,Chairman, NCSC,. Arjun Ram Meghwal, MP, Jayant Mishra, VC, IRS Assoc., Preeta Harit, President.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn